UPSI180001572016

न्यायलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur

पीठासीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP03730**

मूलवाद सं० Civil Suit/25/2016

Ram Sagar Vs. Ramgopal

16.03.2024

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र 6ग पेश हुई। पूर्व में प्रार्थना–पत्र 6ग पर उभय–पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6ग

वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र 6ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सी0पी0सी0 समर्थित शपथ–पत्र 7ग प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि नक्शा नजरी संलग्न वाद–पत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी से प्रदर्शित भूमि स्थित ग्राम विरासीपुरवा मजरा विरासी, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर जिसकी पैमाईश उत्तर से दक्षिण 50 फिट, पूरब से पश्चिम 27 फिट है एवं जिसकी चौहद्दी में उत्तर अहाता इन्द्रकुमार, दक्षिण खड़न्जा मार्ग, पूरब शेष सहन वादी, पश्चिम परती भूमि है, वादी का पैतृक सहन है जिसका मालिक, काबिज वादी है। वादीय सहन पर वादी का दुछनिहा छप्पर रखा है, जानवरों को चारा खिलाने हेतु वादी की नांदें निर्मित है, खूटे गड़े हैं तथा एक इमली, 1 नीम, 2 जलेबी के पेड़ लगे हैं। प्रतिवादीगण वादीय भूमि पर लगे पेड़ों को काटकर उस पर जबरन कब्जा कर लेना चाहते है। अतः प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा दौरान वाद के लिए निषेधित किया जाय। वादी की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति 20ग मय शपथ–पत्र 21ग दाखिल करके यह कथन किया गया कि वादीय भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक है जिस पर प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपनी कृषि योग्य भूमि विक्रय कर दिया है तथा प्रतिवादी सं0 1 की कृषि भूमि ग्राम विरासी में स्थित है। प्रतिवादी सं0 1 इसी विवादित भूमि में रहकर अपनी कृषि भूमि की देखभाल करता है। वादी का वादीय भूमि से कोई वास्ता–सरोकार नहीं है, न ही वादी का वादीय भूमि पर कब्जा है। वादीय भूमि पर पड़े दुछनिहा छप्पर में प्रतिवादी अपने परिवार के साथ रहता है। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किया जाये।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

न्यायालय द्वारा मौके का कमीशन कार्य कराया गया है। साधारण कमीशन आख्या 14ग मय मानचित्र पत्रावलित है।

प्रार्थना–पत्र 6ग पर आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी/वादी को तीन आवश्यक बिन्दुओं को साबित करना होता है जिनके साबित किये जाने के पश्चात ही प्रार्थी/वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जा सकता है। यदि प्रार्थी/वादी किसी भी आवश्यक बिन्दु को साबित करने में विफल रहता है तो उसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नही किया जा सकता। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं–

क्रमशः

1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णनीय क्षति

1. प्रथम दृष्टया मामला–

नक्शा नजरी संलग्न वाद–पत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी से प्रदर्शित भूमि स्थित ग्राम विरासीपुरवा मजरा विरासी, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर को वादी ने अपना पैतृक सहन होना अभिकथित किया है, जबकि प्रतिवादी का कथन है कि यह भूमि उनकी पैतृक है। कमीशन आख्या/मानचित्र 14ग में दर्ज चौहद्दी वाद–पत्र की चौहद्दी से लगभग मेल खाती है किन्तु वाद–पत्र में दर्ज पैमाईश कमीशन आख्या/मानचित्र में अंकित पैमाईश भिन्न–भिन्न हैं। वादी द्वारा वादीय स्थल का कोई राजस्व नम्बर अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। जबकि यह दायित्व वादी का है कि वह वादीय स्थल का सम्पूर्ण विवरण व पहचान स्पष्ट करे। यद्यपि कमीशन आख्या/मानचित्र 14ग में वादीय स्थल की चौहद्दी व पैमाईश अंकित है किन्तु कमीशन आख्या स्वंय एक साक्ष्य है और वादीय स्थल के राजस्व नम्बर के सन्दर्भ में अभिकथन का अभाव है। ऐसी स्थिति में वादीय भूमि किस राजस्व नम्बर पर स्थित है, उसकी सही पैमाईश क्या है, वह इस स्तर पर स्थापित नहीं हो पा रहा है और इस विवाद का निराकरण पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध होने के पश्चात ही हो सकता है। साक्ष्य के स्तर पर उभय–पक्ष को अपने अभिवचन को साबित करने का पर्याप्त अवसर रहेगा। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के इस स्तर पर मात्र प्रथम दृष्टया मामला ही देखा जाना है। वादी द्वारा वादीय स्थल की पहचान स्पष्ट न कर पाने के कारण इस स्तर पर वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत नहीं होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **काशी मठ संस्थान एवं अन्य बनाम श्रीमद सुधीन्द्र तीर्थ स्वामी एवं अन्य (2010) 79, ए.एल0आर0 167 एस0सी0** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि यह सुस्थापित है कि अस्थाई निषेधाज्ञा को प्राप्त करने से पूर्व याची को यह साबित करना होगा कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया केस है, सुविधा का तुला उसके पक्ष में है तथा यदि उसके पक्ष में आदेश पारित नहीं किया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति हो जायेगी। यह भी सुस्थापित है कि यदि याची प्रथम दृष्टया वाद साबित करने में विफल रहता है तो सुविधा का तुला व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु सुसंगत नहीं रह जायेगा।

2. सुविधा का संतुलन–

प्रस्तुत प्रकरण में वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं है अतएव सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है।

3. अपूर्णनीय क्षति–

वादी प्रथम दृष्टया वाद साबित कर पाने में विफल रहे है तथा उनके पक्ष में सुविधा का संतुलन भी नहीं है। इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा उनके पक्ष में पारित न होने की स्थिति में उन्हे कोई अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 6ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 6ग निरस्त किया जाता है। आपत्ति प्रतिवादीगण तद्नुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2 व 3 दिनांक–15.04.2024 को पेश हो।

दिनांक–16.03.2024

सिविल जज जू0 डि0

महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP3730